हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 दिसम्बर , 2013

संख्या वैब 4/ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2013 .– हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. यह नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उप नियम (1) में, खण्ड़ (डड) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:–

"(डडड) ई मेल या इलैक्ट्रोनिक मेल से अभिप्राय है, इन्टरनेट के माध्यम से कम्पयूटर नेटवर्क पर सन्देश भेजने तथा प्राप्त करने की प्रणाली;"।

3. उक्त नियमों में, नियम 21 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्;–

"21क विशेष आर्थिक क्षेत्र(एसईजैड) व्यवहारियों के लिए घोषणा का प्ररुप। धारा 7(7) के अधीन.– (1.) विशेष आर्थिक क्षेत्र(एसईजैड) व्यवहारियों के लिए धारा 7 की उप धारा (7) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररुप वैट घ2क में होगी और क, ख तथा ग भागों में तिहरी प्रति में होगा। प्रत्येक घोषणा क्रमानुसार मशीन से संख्याकिंत की जाएगी या उस पर क्रम संख्या मुद्रित की जाएगी। अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (6) के अधीन विक्रय करने वाला पंजीकृत व्यवहारी, पंजीकृत व्यवहारी द्वारा सम्यक रुप से भरी तथा हस्ताक्षरित घोषणा का भाग 'क' निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसको वह विकय करता है, तथा घोषण का भाग 'ग' अपने पास रगेखा। घोषणा का भाग 'ख' क्रेता व्यवहारी द्वारा रखा जाएगा जिसको विकय किया जाता है।

(2.) प्ररुप वैट घ2क में की गई एकल घोषणा में एक वर्ष में उसी प्रकार के दो व्यवहारियों के बीच उसी प्रकार के निर्यात आदेश से सम्बन्धित विक्रय के एक या एक से अधिक संव्यवहार होंगे:

परन्तु जहां विक्रय के किसी संव्यवहार की दशा में, माल का परिदान विभिन्न वित्त वर्षों में किया जाता है, वहां प्रत्येक वित्त वर्ष में परिदत्त किए गए माल के सम्बन्ध में अलग से एक घोषणा प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

(3.) नियम 17 में अंतर्विष्ट प्ररुप वैट घ 1 के सम्बन्ध में सभी उपबन्ध प्ररुप वैट घ2क के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 79 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"79. (1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन नोटिस की तामील निम्नलिखित में से किसी एक ढंग द्वारा कराई जाएगी, अर्थात्:–

(क) सम्बोधिती को या उसके अभिकर्ता को अथवा उस कारबार के सम्बन्ध में, जिसके सम्बन्ध में वह व्यवहारी के रुप में पंजीकृत है, उसके द्वारा नियमित रुप से नियुक्त किसी व्यक्ति को अथवा व्यवहारी के साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य को, नोटिस की प्रति दस्ती देकर; या

(ख) पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवा द्वारा; अथवा

(ग) व्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को घोषित किये गए/दिए गये टेलीफोन संख्या पर फैक्स सन्देश या इलैक्ट्रानिक मेल सेवा या ई0मेल पता जिस पर वह नोटिस प्राप्त करने के लिए सहमत हा :

परन्तु यदि उपरोक्त कथित तरीकों में से किसी के द्वारा ऐसे किसी नोटिस की तामील कराने का प्रयास करने पर सम्बन्द्ध प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार है कि सम्बोधिती नोटिस की तामील से बच रहा है या किसी अन्य कारण से, जो ऐसे प्राधिकारी के विचार में पर्याप्त है कि उपरोक्त वर्णित तरीकों में से किसी के द्वारा नोटिस की तामील नहीं कराई जा सकती है, तो उक्त प्राधिकारी उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् नोटिस की तामील उसकी प्रति निम्नलिखित स्थानों पर चिपकवा कर करवाएगा:–

(i) यदि सम्बोधिती कोई व्यवहारी है, तो व्यवहारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर या उस भवन में जिसमें व्यवहारी का कार्यालय स्थित है, अथवा व्यवहारी के उस कारबार के सहजदृश्य स्थान पर, जिसकी सूचना, उस स्थान के व्यवहारी द्वारा जहां उसके बारे में ज्ञात हो कि वह वहां अन्तिम रुप से कारबार चला रहा था, उक्त प्राधिकारी को अन्तिम रुप से दी गई हो; अथवा

(ii) यदि सम्बोधिती व्यवहारी नहीं है, तो उसके निवास स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर या कार्यालय पर अथवा उस भवन पर जिसमें उसका निवास स्थान या कार्यालय स्थित है, और ऐसी तामील उस पर इस प्रकार प्रभावोत्पादक समझी जाएगी मानो सम्बोधिती को व्यक्तिगत रुप से की गई हो:

परन्तु यह और कि जहां उस अधिकारी की, जिसके कहने पर नोटिस की तामील की जानी हो, जांच करने पर यह सन्तुष्टि हो जाती है कि उक्त कार्यालय, कारबार, स्थान अथवा निवास स्थान विद्यमान नहीं है या जिसका पता नहीं चला है, तो ऐसा अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा नोटिस की तामील करने की अपेक्षा को अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन छोड़ सकता है।

(2) जब नोटिस तामील करने वाला अधिकारी नोटिस की प्रति व्यवहारी या व्यक्तिरुप से सम्बोधिती को अथवा उसके अभिकर्ता या उपनियम (1) के खण्ड़ (क) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के सुपुर्द करता है या देता है, तो वह उस व्यक्ति के, जिसको प्रति इस प्रकार सुपुर्द की गई हो, या दी गई हो, तामील की पावती के रुप में मूल नोटिस पर हस्ताक्षर कर लेगा। जब उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार नोटिस की तामील उसकी प्रति चिपका कर की गई है, तो उसे तामील करने वाला अधिकारी, मूल प्रति उस प्राधिकारी को, जिसने नोटिस जारी किया था, उसके साथ रिपोर्ट पृष्ठांकित या संलग्न करके, यह कहते हुए कि उसने प्रति इस प्रकार चिपकवा दी है, परिस्थितियां जिनके अधीन उसने ऐसा किया था तथा उस व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसने सम्बोधिती के कार्यालय या निवास स्थान अथवा उस भवन को जिसमें उसका कार्यालय या निवास स्थान स्थित है या उसने कारबार का स्थान पहचाना था तथा जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी, लौटाएगा। उक्त प्राधिकारी जानकारी देने वाले व्यक्ति के, जिसने पाने वाले व्यक्ति के निवास स्थान या कार्यालय अथवा भवन या कारबार के स्थान को पहचाना था जो रिपोर्ट में है, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी ले लेगा।

(3) जब तामील ड़ाक द्वारा की जाती है, तो तामील उचित रीति से पता लिखकर या नोटिस को तैयार करके तथा इसे रजिस्ट्री रसीदी ड़ाक, शीघ्र ड़ाक या कूरियर सेवाओं द्वारा भेजकर की गई समझी जाएगी और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता, तामील उस समय की गई समझी जाएगी जब नोटिस साधारण ड़ाक अनुक्रम में सुपुर्द कर दिया जाता। प्राधिकरण/एजेंसी से रसीद जो दस्तावेज की वितरण को प्राप्त होना दर्शाए, तथा व्यवहारी की फाईल में रखी जायेगी।

(4) जब स्कैन या ड़िजिटल हस्ताक्षरित नोटिस निर्धारण प्राधिकारी को व्यवहारी द्वारा घोषित/दिए गए ई0मेल पते पर ई0मेल के माध्यम से तामील की जाती है, तो उसकी तामील तुरन्त प्रभावी समझी जायेगी। जब यह स्कैन या ड़िजिटल हस्ताक्षरित नोटिस या संदेश उचित रुप से पता दर्शाते हुए भेजा गया है तथा इस प्रकार भेजे गए मेल फोल्ड़र में प्रतिबिंबित हो जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता।

(5) जब नोटिस की तामिल व्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को घोषित/दिए गए पूर्व फैक्स नम्बर पर फैक्स द्वारा की गई है, तो उसकी तामिल एक बार ओ0के0 रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रभावी हुई समझी जायेगी जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता।

(6) पूववर्ती उपनियमों के उपबन्धों का अधिनियम या इन नियमों के अधीन पारित किए गए आदेश की प्रति देने के सम्बन्ध में, जहां आदेश प्ररुप वैट–ढ4 में मांग के नोटिस के साथ संलग्न नहीं है, अनुसरण किया जाएगा।"।

5. उक्त नियमों में, विद्यमान "प्ररुप वैट घ–2" के बाद, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्:–

"प्ररुप वैट–घ2क

[माल की शून्य कर की दर पर खरीद करने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के व्यवहारी की घोषणा]

[भाग क]

[बिक्री व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना]

(देखिए नियम 21 क)

क्रम संख्याः ____________________

जारी करने वाला कार्यालयः ____________________

जारी करने की तिथिः ____________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी का व्यौराः

(क) नामः ____________________

(ख) कारोबार का स्थानः ____________________

(ग) जिलाः ____________________

(घ) टिनः ____________________

(ड़) विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा जारी पंजीकरण संख्याः ____________________

(च) तिथि जिससे पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध हैः ____________________

(छ) पंजीकरण संख्या जारी करने वाले विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र का पताः ______________________

जारीकर्ता प्राधिकारी या अधिप्रमाणित प्राधिकारी की मोहर

सेवा में

बिक्री करने वाले व्यवहारी का नाम तथा पता ______________________________

____

टिन ________________

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित बीजक के अनुसार आप द्वारा दिये गए माल मेरे/हमारे द्वारा रखे गए पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट श्रेणी अथवा श्रेणियों का माल है तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप–धारा (6) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदा गया है।

क्रम संख्या	बीजक संख्या तथा दिनांक	माल का व्यौरा	माल का मूल्य

उपर्युक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही हैं और उनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक सहित हस्ताक्षरः ______________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नामः ______________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी के सम्बन्ध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पद : ______________________

प्ररुप वैट–घ2क

[माल की शुन्य कर की दर पर खरीद करने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के व्यवहारी की घोषणा]

[भाग ख]

[क्रय व्यवहारी द्वारा रखा जाना है]

(देखिए नियम 21 क)

क्रम संख्याः ______________________

जारी करने वाला कार्यालयः ______________________

जारी करने की तिथिः ______________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी का व्यौराः

(क) नामः ______________________

(ख) कारबार का स्थानः ______________________

(ग) जिलाः ______________________

(घ) टिनः ______________________

(ङ) विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा जारी पंजीकरण संख्याः ______________________

(च) तिथि जिससे पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैध है : ______________________

(छ) पंजीकरण संख्या जारी करने वाले विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र का पता ______________________

जारीकर्ता अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी की मोहर

सेवा में

बिक्री करने वाले व्यवहारी का नाम तथा पता ______________________________

____

टिन ______________

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित बीजक के अनुसार आप द्वारा दिए गए माल में विनिर्दिष्ट माल मेरे/हमारे द्वारा रखे गये पंजीकरण में विनिर्दिष्ट श्रेणी अथवा श्रेणियों का माल है तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप–धारा (6) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदा गया है।

क्रम संख्या	बीजक संख्या तथा दिनांक	माल का व्यौरा	माल का मूल्य

उपर्युक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है और उनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक सहित हस्ताक्षरः ______________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नामः ______________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी के सम्बन्ध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदः ______________________

प्ररुप वैट–घ2क

[माल की शुन्य कर की दर पर खरीद करने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के व्यवहारी की घोषणा]

[भाग ग]

[बिक्री व्यवहारी द्वारा रखा जाना है]

(देखिए नियम 21 क)

क्रम संख्याः ______________________

जारी करने वाला कार्यालयः ______________________

जारी करने की तिथिः ______________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी का व्यौराः

(क) नामः ______________________

(ख) कारोबार का स्थान : ______________________

(ग) जिलाः ______________________

(घ) टिन : ______________________

(ङ) विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा जारी पंजीकरण संख्याः ______________________

(च) तिथि जिससे पंजीकरण की वैधता हैः ____________________

(छ) पंजीकरण करने वाले विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र का पताः ____________________

जारीकर्ता अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी की मोहर

सेवा में

बिक्री करने वाले व्यवहारी का नाम तथा पता ____________________

____

टिन ____________________

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित बीजक के अनुसार आप द्वारा दिये गए माल मेरे/हमारे द्वारा रखे गए पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट श्रेणी या श्रेणियों का माल है तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप–धारा (6) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदा गया है।

क्रम संख्या	बीजक संख्या तथा दिनांक	माल का व्यौरा	माल का मूल्य

उपर्युक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही हैं और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक सहित हस्ताक्षरः ____________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नामः ____________________

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवहारी के सम्बन्ध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पद : ____________________ ।" ।

हरदीप कुमार

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग ।